वरीय प्रभारी पदाधिकारी

Speed Post

पत्रांक–नि0वि0स्था0–134/2000 5761 अनु0

बिहार सरकार,
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार,
पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी आरक्षी अधीक्षक।

पटना, दिनांक: 18.10.13

विषय :– पूरे राज्य में दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता अभिचेतना सप्ताह के आयोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सुशासन का कार्यक्रम (2010–2015) निर्धारित किया गया है। इस संकल्प के "प्रशासन" शीर्ष के अन्तर्गत कडिका–2 पर निगरानी तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबध में निम्नांकित संकल्प है :–

"सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति अपनायी जायगी। भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति को राज्यसात् करने की कार्रवाई को गति प्रदान की जायेगी।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार जन–जीवन को आक्रान्त और कलुषित करता है और अंततः उसे संज्ञानहीन कर डालता है। एक स्वच्छ, सक्रिय और निष्ठावान प्रशासन–तंत्र ही राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सद्गति प्रदान कर सकता है एवं मानवाधिकार की रक्षा कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरे जन–जीवन और प्रशासन–तंत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में

15

अपेक्षित सतर्कता के प्रति अभिचेतना का सचार, प्रचार और प्रसार समायोजित होगा। अतएव सरकार ने यह निर्णय लिया है कि:–

(1) दिनांक 28.10.2013 को राज्य के सभी लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण सबंधी संकल्प 11.00 बजे पूर्वाह्न में लिया जाय, जिसके अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में, प्रधान/कार्यालय के वरीयतम पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को संकल्प दिलाया जाय। इस निमित्त अनुलग्नक–क मे सकल्प की प्रति सलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता संबंधी स्लोगन का स्लाईड अपने विवेक से तैयार कर सिनेमा हॉल तथा केबुल ऑपरेटरों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाय।

(3) जिलों मे अवस्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में "भ्रष्टाचार–विकास में बाधक" के विषय पर वाद–विवाद/लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय एवं प्रतियोगिता में प्रथम से तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाय।

कृपया इस सतर्कता अभिचेतना सप्ताह को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की दिशा में यथा सम्भव सभी अपेक्षित कार्रवाईयाँ सुनिश्चत करायें और इसे नेतृत्व प्रदान करें।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

(अशोक कुमार सिन्हा) 18.10.13
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 1740-2, स्था0, मधेपुरा, दिनांक 24-10-2013

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। विभागीय निदेश के आलोक में दिनांक 28/10/2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अपने-अपने कार्यालय वेश्म/सभागार में एकत्रित होकर भ्रष्टाचार निवारण संबंधी संकल्प के अनुसार संकल्प दिलाया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला प्रभारी उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि समाहरणालय सभागार में दिनांक 28/10/2013 को

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । हम यह प्रतिज्ञा भी करते है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे । हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे । हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धान्तों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे । हम अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे ।

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.